

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2013—श्रावण 31, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 13-28-2013-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा), भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) नियम-6 में, खण्ड (1) में, उप खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(घ) सीमित परीक्षा से चयन द्वारा.”.

(दो) नियम-11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“11 (एक) सीमित परीक्षा द्वारा चयन—

- (1) अधीनस्थ शिक्षा सेवा से एरिया एज्युकेशन ऑफिसर के पद शासकीय माध्यमिक शाला, के प्रधानाध्यापक, शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं शासकीय शालाओं में पदस्थ स्थानीय निकाय के अध्यापक से भरे जायेंगे;
- (2) एरिया एज्युकेशन ऑफिसर के नियोजन / नियुक्ति के लिए “सीमित परीक्षा” ऐसे प्राधिकारी द्वारा संचालित की जायेगी जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए;

(3) एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर की भर्ती के लिए योग्यता की सूची तैयार करने एवं चयन का मापदण्ड एवं विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा कार्यपालिक आदेश जारी कर विहित की जाएगी.”

(तीन) अनुसूची क्रमांक-1 में, शीर्षक “अ—प्रशासन” के नीचे, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों की श्रेणी	पद का वेतनमान	नियुक्तकर्ता प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“16	ए.ई.ओ.	3286	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600	आयुक्त, लोक शिक्षण नियुक्ति प्राधिकारी.”

(चार) अनुसूची-3 में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4	ए.ई.ओ. (एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर)	—	—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी. एड.) की उपाधि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा मध्यप्रदेश शासन के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक)/ प्रधान पाठक माध्यमिक शाला / स्थानीय निकाय संवर्ग के अध्यापक जिन्हें 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो.	शासकीय विभागीय माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक, शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं स्थानीय निकाय के अध्यापक से जिनका सीमित परीक्षा द्वारा चयन हो.”

(पांच) अनुसूची क्रमांक-4 में, अनुक्रमांक 8(ब) में आयटम (1-ब) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 13-28-2013-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 13-28-2013-बीस-1, दिनांक 22 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd August 2013

F. No. 13-28-2013-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes to following amendments in the Madhya Pradesh Education Service (School Branch) Recruitment and Promotion Rule, 1982, namely :—

AMENDMENTS

In the said rule,—

1. In rule 6, in clause (i), after sub-clause (c), the following sub-clause shall be inserted, namely :—
“(d) by selection through limited examination”;
2. After rule 11-A, the following rule shall be inserted, namely :—
“11-B, selection by limited examination :—
(1) The post of Area Education Officer shall be filled by Head Master of Middle School, Teacher (Upper Division Teacher) and Adhyapak of Local Bodies posted in Government School.
(2) For appointment of Area Education Officer, the limited examination shall be conducted by such an authority as may be prescribed by the Government.
(3) The procedure for preparing a merit list Criterion of selection and publishing an advertisement for recruitment of the post of Area Education Officer shall be prescribed by the Government by issuing executive instructions.”;
3. In Schedule No.-1 under the heading “A-Administration” after serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely :—

No.	Name of post	No. of post	Category of post	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“16	Area Education Officer	3286	Class-II	9300—34800+3600	Appointing Authority- Commissioner Public Instructions.”.

4. In Schedule No.-3, after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely :—

No.	Name of post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Minimum Educational Qualifications and other Requirements	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4	Area Education Officer (AEO)	—	—	Graduate Degree from recognized University and B.Ed. which should be recognised by National Council for Teachers Education and Teachers (Upper Division Teachers) Head Masters of Middle School/Adhyapak of local bodies cadre who has 5 years minimum teaching experience.	Selection by limited Esamination from the post of Head Masters, Middle School, and Teachers (Upper Division Teachers) and Adhyapak of Local Bodies Cadre.”.

5. In Schedule No.-4, in serial number 8(b), item (1-b) and entries relating thereto, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHAUKSEY, Dy. Secy.